

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-387/2012
 संस्थित दिनांक-30/04/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी उकवा, थाना रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

पुनलाल सहारे पिता बैसाखू सहारे उम्र-64 वर्ष,
 साकिन उकवा केम्प, वार्ड नं-20, चौकी उकवा, थाना रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-27/02/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-21.03.2012 को समय 9:00 बजे स्थान सोनपुरी स्कूल मैदान के सामने रोड़ पर अंतर्गत थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोकमार्ग है पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी.50 एम.बी. 7075 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत शिव को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.12 को 9:00 बजे फरियादी सुखदेव ग्राम सोनपुरी में दाड़ी बनाने आया था तो उसे पता चला कि सोनपुरी स्कूल के मैदान के साकने रोड़ पर एक अज्ञात मोटरसाईकिल वाले ने एक लड़के का मोटरसाईकिल से एकसीडेन्ट कर दिया है तो वह दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि उसके भांजे शिव को ठोस मारकर मोटरसाईकिल वाला भाग गया है। उसके भांजे शिव को बाएं घुटने के उपर, दाहिने तरफ गाल में एवं दोनों हाथों की कोहनी में चोटे आई थी। उसका भांजा नारंगी से सोनपुरी अन्नपूर्णा स्कूल में पढ़ने आता है और वह बस से उतरा था तो उकवा की तरफ से एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसके भांजे को ठोस मार दी। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी उकवा में फरियादी के द्वारा की गई जिस पर पुलिस थाना रूपझर द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक

32/12, धारा-279, 337 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आहत का मुलाहिजा कराकर घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया गया। आरोपी से दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया तथा पुलिस द्वारा आहत की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसे अस्थिभंग होने के आधार पर तथा दुर्घटना कारित वाहन का बीमा न होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-21.03.2012 को समय 9:00 बजे स्थान सोनपुरी स्कूल मैदान के सामने रोड़ पर थाना रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट जो कि लोकमार्ग है पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50 एम.बी. 7075 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत शिव को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत शिवकुमार पन्दे (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना लगभग दो-तीन साल पहले की है। वह घटना समय बस में बैठकर स्कूल जा रहा था। वह बस में पीछे बैठा था। बस रुकने पर वह सबसे पहले उतरा तो पीछे से एक मोटरसाइकिल चालक ने तेजी से चलाते हुये उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर में चोट आयी थी। उसका ईलाज अस्पताल में हुआ था। उसके पैर में प्लास्टर काफी दिन तक बंधा रहा। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना के समय मोटरसाइकिल चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल चालक वाहन को तेज गति या धीमी गति से चला रहा था, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल इस तथ्य का समर्थन किया है कि

उसे घटना के समय मोटरसाइकिल चालक के द्वारा टक्कर मारने से पैर में अस्थिभंग हुआ था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की उक्त दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल चालक के रूप में पहचान नहीं की है और न ही आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को कथित उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने का समर्थन किया है।

6— सुखदेव (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 10:00 बजे की है। घटना दिनांक को जब वह बाल कटिंग की दुकान से लौट रहा था तो घटनास्थल पर भीड़ लगी थी, तो उसने देखा कि आहत शिवा की दुर्घटना हो चुकी थी और दुर्घटना वाला वाला वाहन वहां पर नहीं था। उसे पता लगा था कि आहत शिवा की गलती से दुर्घटना हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट उकवा चौकी में जाकर की थी, जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी घटना के समय मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत शिवा को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में सूचनाकर्ता होते हुए भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप कथन न करते हुए अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— सागन उर्फ सोतनबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व दिन के लगभग 9 बजे की उसके घर के सामने की है। घटना के समय बिठली की तरफ से एक बस आई जिसमें से पढ़ने वाले बच्चे उतरे और बस आगे बढ़ गई थी। उसमें से एक बच्चा जो आहत शिव था, मुरम पर फिसलने से गिर गया था, जिसे उसने उठाकर पानी पिलाई थी। आरोपी उकवा तरफ से मोटरसाइकिल से आया और बिठली की तरफ गया था। आरोपी की मोटरसाइकिल से आहत शिव को टक्कर नहीं लगी थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी घटना के समय मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत शिवा को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-1 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है।

8— देवीलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना आज से लगभग डेढ़-दो साल पहले दिन के 2 बजे के समय ग्राम सोनपुरी स्वास्थ्य विभाग के सामने की है। घटना दिनांक को जब वह अपने घर पर था, जहां से घटनास्थल उसे दिख रहा था। घटना के समय एक मोटरसाइकिल वाला जो उकवा से नारंगी की ओर जा रहा था, तो सोनपुरी स्वास्थ्य विभाग के सामने 8-9 साल के बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे बच्चा रोड़ के किनारे गिर गया था और

मोटरसाइकिल वाला वहां से भाग गया था। उसने मोटरसाइकिल चालक को देख नहीं पाया था। उसके द्वारा बच्चे को खड़ा किये जाने का प्रयास किया गया, किन्तु वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। बच्चे को पैर में घुटने के उपर सूजन आ गई थी। उसके द्वारा बच्चे को पानी पिलाया गया और पता पूछकर उसके घर पहुंचा दिया गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बता दिया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी की गलती से दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 से भी इंकार किया है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी तथा साक्षी का स्वतः कथन है कि घटना के समय मोटरसाइकिल चालक ने वाहन को तेजी से चलाकर दुर्घटना कारित की थी। इस प्रकार इस साक्षी के संपूर्ण कथन से यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय मोटरसाइकिल चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से उक्त वाहन को चलाकर आहत शिवा को ठोस मारकर उपहति कारित की थी। यद्यपि साक्षी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की जाने से आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

9— हरिराम (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आहत शिव और आरोपी को नहीं जानता और उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— अन्य साक्षी सागर उइके (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना आज लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व रात्रि 08:00 बजे ग्राम नारंगी और सोनपुरी के बीच रोड़ की बात है। घटना दिनांक को वह ग्राम नारंगी से उकवा जा रहा था। जब वह रोड़ किनारे अपनी मोटरसाइकिल से खड़ा था तभी नारंगी तरफ से एक मोटरसाइकिल जिस पर तीन लोग सवार थे, उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उसे पैर में चोट आई थी। जिस गाड़ी से टक्कर लगी थी वह भी गिर गई थी। फिर वे लोग गाड़ी लेकर भाग गए थे। वह आहत शिव पन्द्रे को नहीं जानता। उसे आहत शिव पन्द्रे की मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने आहत शिव पन्द्रे को ठोस मार दिया था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में नहीं की है और न ही उसके द्वारा आहत शिवा को टक्कर मारकर उपहति कारित करने का समर्थन किया है।

11— आहत शिव के एक्सरे परीक्षण करने वाले डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-02.04.2012 को जिला

चिकित्सालय रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत् था। दिनांक-21.03.2012 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत शिवकुमार का एक्सरे लिया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-1115 था, जो आर्टिकल ए-1 है। आहत को डॉक्टर गजभिये ने एक्सरे हेतु रिफर किया था तथा आरक्षक रामकुमार क्रमांक 697 द्वारा एक्सरे हेतु लाया गया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने बाएं पैर की हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आहत शिवा को घोर उपहति कारित होने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

12— अनुसंधानकर्ता जगदीश गेड़ाम (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 21.03.12 को चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुखदेव की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध में क्रमांक-0/2012, धारा 279,337 भा.द.वि एवं 184 मो.व्ही.एक्ट प्रदर्श पी-2 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 को थाना रूपझर असल नम्बरी हेतु भेजा गया था। उक्त दिनांक को ही आहत शिव को परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था। विवेचना के दौरान सागनबाई एवं साक्षियों की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सागनबाई, सुखदेव, देवीलाल एवं दिनांक-31.03.2012 को सागर, हरूलाल, सिंधू, शिवाजी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-28.03.2012 को आरोपी पुन्नुलाल से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाइकिल एम.पी.50/एम.बी. 7075 एवं रजिस्ट्रेशन तथा ड्राईविंग लायसेंस जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-9 के माध्यम से साक्षियों के समक्ष जप्त किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी पुन्नुलाल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त मोटरसाइकिल का उसके द्वारा विधिवत् मैकेनिक गोविंद से मैकेनिकल परीक्षण कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। आहत को फ्रेक्चर होने से एवं वाहन को बिना बीमा कराये चलाए जाने से धारा-338 भा.द.वि. एवं धारा-146/196 मो.व्ही.एक्ट की बढ़ाई गई थी।

13— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लेख नहीं कराई गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के 7 दिन बाद आरोपी का वाहन जप्त किया गया था। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है, किन्तु साक्षी की समर्थनकारी साक्ष्य का प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध कारित किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होने से अधिक महत्व नहीं रह जाता है। यदि क्या मान भी लिया जाए कि आरोपी के आधिपत्य से कथित दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल जप्त हुआ था, तब भी साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि उक्त वाहन से ही आहत शिवा को टक्कर लगी थी अथवा उक्त वाहन को आरोपी के द्वारा चालन किया जा रहा था।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल के चालक के रूप में आरोपी की पहचान नहीं की है। महत्वपूर्ण साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में स्थिर नहीं रहे हैं। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से मात्र यह तथ्य प्रमाणित होता है कि कथित दुर्घटना में आहत शिवा को घोर उपहति कारित हुई थी, किन्तु यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि उक्त उपहति आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन के कारण कारित हुई थी। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। मामले में प्रस्तुत समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। चूंकि आरोपी को किसी भी साक्षी के द्वारा कथित मोटरसाइकिल का चालन करते हुए नहीं देखा गया है। ऐसी दशा में मात्र जप्ती कार्यवाही के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी वाहन मोटरसाइकिल को घटना के समय बिना बीमा के चालन किया था।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50 एम.बी. 7075 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत शिव को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50 एम.बी. 7075 को मय दस्तावेज के सुपुर्ददार पुनलाल वल्द बैसाखू निवासी उकवा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट